



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/सं.अ.सं./ 245

दिनांक 20/08/2020

सूचना

कृपया अवगत हों, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 770/2020/3873 भोपाल दिनांक 13.08.2020 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा क्र. /अका/2020/765 भोपाल दिनांक 18.08.2020 को अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ mponline Student Information System Link (SIS Link) के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेंगी।

अतः समस्त अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र/छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि mcrpv.mponline.gov.in के पोर्टल पर Student Information System Link (SIS Link) में जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 25.08.2020 तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करायें। कृपया स्मरण रहे कि जिन छात्र/छात्राओं के SIS रजिस्ट्रेशन नहीं हो पायेंगे, वे परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिन छात्रों के Student Information System Link (SIS Link) पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीसीए, पीजीडीसीए एवं अन्य) के छात्रों लिए SIS रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है।

संलग्न: विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र./अका/2020/765
भोपाल दिनांक 18.08.2020

(प्रो. डॉ. मनीष माहेश्वरी)
निदेशक

पृ./क्रमांक/सं.अ.सं./ 246

दिनांक 20/08/2020

प्रतिलिपि—

1. वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
2. समस्त अध्ययन संस्थाओं की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, कुलपति/कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।

(प्रो. डॉ. मनीष माहेश्वरी)
निदेशक



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2020/ 765

भोपाल, दिनांक 18.08.2020

अधिसूचना

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 770/2020/3873 भोपाल दिनांक 13-08-2020 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ mponline Student Information System Link (SIS Link) के माध्यम से सम्पन्न की जाएंगी।

विश्वविद्यालय परिसरों के तथा संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत एवं पंजीकृत सभी स्नातक तथा स्नातकोत्तर के परीक्षार्थियों को mcrpv.mponline.gov.in के पोर्टल पर Student Information System Link (SIS Link) में जाकर तत्काल 10 रुपये का शुल्क जमा कर दिनांक 25-08-2020 तक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो छात्र/छात्राएँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे वे परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पायेंगे।

टीप :- जो पूर्व छात्र/छात्राएँ Student Information System Link (SIS Link) में पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ऐसे छात्र/छात्राओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 18.08.2020

पृ. क्र./अका./2020/ 766

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, कुलपति/निज सहायक कुलाधिसचिव, कुलसचिव को सूचनार्थ।
- 2- समस्त विभागाध्यक्षगण/परिसर प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि आपके विभाग/परिसर में अध्ययनरत नियमित स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को दिये गये लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सूचित करें ताकि परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित ना हों।
- 3- निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ के माध्यम से संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिये गये लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सूचनार्थ।
- 4- परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 5- प्रभारी वेबसाईट संधारण को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 6- आदेश पुस्तिका।

(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव